

न्यायालय-मधुसूदन जंघेल,
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट (म0प्र0)

आप.प्र.क्र.-974 / 14
संस्थित दिनांक 27.10.2014

म0प्र0 राज्य द्वारा थाना प्रभारी आरक्षी केन्द्र बिरसा
जिला बालाघाट (म0प्र0)

.....अभियोजन

// विरुद्ध //

1.इंदलाल पिता हंसलाल, उम्र-48 वर्ष,
2.कमल पिता काशीराम, उम्र-36 वर्ष
दोनों निवासी ग्राम अचानकपुर थाना बिरसा
जिला बालाघाट।

.....अभियुक्तगण

// निर्णय //

(दिनांक 18.06.2018 को घोषित किया गया)

01— उपरोक्त नामांकित आरोपी इंदलाल पर दिनांक 05.10.2014 को रात्रि 9:30 बजे चौकी सालेटेकरी थाना बिरसा अंतर्गत ग्राम डोंगरिया में अभियोक्त्री के नैवासिक मकान में कारावास से दण्डनीय अपराध करने के आशय से प्रवेश कर रात्रो गृहभेदन कारित करने एवं उक्त दिनांक समय व स्थान पर अभियोक्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से अभियोक्त्री का हाथ पकड़कर उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करने एवं आरोपी कमल पर उक्त दिनांक समय व स्थान पर अभियोक्त्री के नैवासिक मकान में कारावास से दण्डनीय अपराध करने के आशय से प्रवेश कर रात्रो गृहभेदन कारित करने, इस प्रकार आरोपी इंदलाल पर धारा 456, 354 भा.द.वि. एवं आरोपी कमल पर धारा 456 भा.द.वि. के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित करने का आरोप है।

02— प्रकरण में कोई महत्वपूर्ण तथ्य नहीं है।

03— अभियोजन का मामला संक्षेप में इस आशय का है कि अभियोक्त्री ग्राम झामुल में रहकर खेती-बाड़ी का कार्य करती थी। लगभग चार माह पूर्व से अपने दोनों बच्चों को लेकर ग्राम डोंगरिया में अपनी माँ सयबीनबाई के घर रह रही थी। दिनांक 05.10.2014 को अभियोक्त्री का पति उसके घर आकर रुका हुआ था। रात लगभग 9:30 बजे अभियोक्त्री अपने माँ के घर अंदर जमीन में नीचे सोई हुई थी। अभियोक्त्री का पति उसी कमरे में दोनों बच्चों के साथ खटिया में सोया हुआ था। उसी समय रात में अभियोक्त्री के कमरे में आरोपी इंदलाल और उसका साथी कमल आये और आरोपी कमल उसके पास खड़ा था तथा आरोपी इंदलाल बुरी नियत से अभियोक्त्री का बाया हाथ पकड़कर खींचने

लगा। उसी समय अभियोक्त्री का पति उठ गया, जिसे देखकर आरोपीगण घर के बाहर चले गये। अभियोक्त्री के पति ने आरोपी इंदलाल को दौड़ाकर पकड़ लिया था। चिल्लाने पर गांव के लोग हीराबती, रूकमणीबाई व अन्य लोग आ गये। उन्हें देखकर आरोपी इंदलाल हाथ छोड़ाकर भाग गया। घटना के उपरांत अभियोक्त्री ने घटना की रिपोर्ट चौकी सालेटेकरी में की, जिसे अपराध क्रमांक 0/14 धारा 456, 354 भा.द.वि. में पंजीबद्ध किया गया। उक्त अपराध पर थाना बिरसा के मूल नंबर अपराध क्र-129/14, धारा 456, 354 भा.द.वि. पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। आहत/अभियोक्त्री का मेडिकल परीक्षण कराया गया। अभियोक्त्री एवं साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये घटना स्थल का मौका नक्शा बनाया गया। आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया एवं आवश्यक अन्वेषण उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04— आरोपीगण ने अपने अभिवाक तथा अभियुक्त परीक्षण अन्तर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० में आरोपित अपराध करना अस्वीकार किया है। आरोपीगण ने अपने बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है।

05— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित प्रश्न विचारणीय हैं:—

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 05.10.2014 को रात्रि 9:30 बजे चौकी सालेटेकरी थाना बिरसा अंतर्गत ग्राम डोंगरिया में अभियोक्त्री के नैवासिक मकान में कारावास से दण्डनीय अपराध करने के आशय से प्रवेश कर रात्रि गृहभेदन कारित किया ?

2. क्या आरोपी इंदलाल ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर अभियोक्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से अभियोक्त्री का हाथ पकड़कर उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया ?

// निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण //

विचारणीय प्रश्न क्रमांक—1

06— अभियोक्त्री अ.सा.01 ने बताया है कि वह आरोपीगण को जानती है। घटना दो वर्ष पूर्व रात्रि 10:00 बजे उसके मायके ग्राम डोंगरिया की है। घटना के समय वह अपने पति एवं बच्चों के साथ कमरे में सोई हुई थी। कमरे का दरवाजा बंद था, किन्तु सांकल नहीं लगाई थी। रात में अचानक आरोपी इंदलाल द्वारा उसका हाथ पकड़ने से उसकी नींद खुल गई। फिर उसका पति

उठ गया। उसके पति ने आरोपी इंदलाल को पकड़ने की कोशिश किया, किन्तु वह भाग गया। घटना के समय आरोपी कमल आरोपी इंदलाल के साथ आया था, किन्तु आरोपी कमल कमरे में नहीं आया था। आरोपी इंदलाल ने बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ा था। उसने घटना की रिपोर्ट प्र.पी.01 चौकी सालेटेकरी में की थी। पुलिस ने घटनास्थल का मौका नक्शा प्र.पी.02 तैयार किया था। पुलिस ने घटनास्थल से आरोपी इंदलाल की चप्पल बरामद कर जप्ती पत्रक प्र.पी.03 तैयार किया था।

07— अभियोक्त्री अ.सा.01 ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि आरोपीगण से काफी वर्षों से उसकी पहचान थी। आरोपी इंदलाल से उसकी बातचीत होती रहती थी, किन्तु इससे इंकार किया है कि उसने आरोपी इंदलाल से उधारी के पैसे मांगे थे। घटना के पूर्व से आरोपी इंदलाल और उसके पति आपस में बातचीत नहीं करते थे। रिपोर्ट लिखाते समय उसके पति एवं उसके बताये अनुसार रिपोर्ट लिखी गई थी, किन्तु इससे इंकार किया है कि उसके पति एवं आरोपी इंदलाल के मध्य पुरानी दुश्मनी होने से उसने पुलिस में झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अभियोक्त्री के कथन में घटना के संबंध में कोई तात्त्विक विरोधाभास एवं लोप नहीं है।

08— बरनसिंह परते अ.सा.07 ने बताया है कि दिनांक 06.10.2014 को चौकी सालेटेकरी थाना बिरसा में अभियोक्त्री निवासी झामुलटोला उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट की कि दिनांक 05.10.2014 को करीब 9:30 बजे रात वह अपनी माँ के घर जमीन में सोई हुई थी। उसी कमरे में उसका पति खटिया पर सोया हुआ था। उसी समय रात में अचानक आरोपी इंदलाल और कमल दोनों दरवाजा खोलकर अंदर आये। कमल उसके पास खड़ा था और इंदलाल ने बुरी नियत से उसका बाया हाथ पकड़कर खींचतान किया था। उसके चिल्लाने पर उसके पति उठ गये, जिन्हें देखकर आरोपीगण घर से बाहर निकल गये। उसने अभियोक्त्री के बताये अनुसार थाना बिरसा में प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध क्रमांक 129/14 धारा 354, 456/34 भा.द.वि. प्र.पी.01 पंजीबद्ध किया था। मूल अपराध की कायमी प्र.पी.02 है। प्रतिपरीक्षण में इससे इंकार किया है कि प्र.पी.02 की रिपोर्ट में कोरे कागज पर उसने अभियोक्त्री से

हस्ताक्षर करा लिया था। इस प्रकार अभियोक्त्री द्वारा बताई गई घटना का समर्थन प्रथम सूचना रिपोर्ट से होता है।

09— देवीलाल अ.सा.02 ने बताया है कि वह आरोपीगण को जानता है। घटना करीब दो वर्ष पूर्व ग्राम डोंगरिया में उसके ससुराल की है। घटना के समय उसकी पत्नि बच्चों को लेकर ग्राम डोंगरिया मायके दशहरा त्यौहार में गई थी। वह भी अपने ससुराल गया था। घटना के दिन वह अपनी पत्नि एवं बच्चों के साथ कमरे में सोया हुआ था। कमरे का दरवाजा बंद था, किन्तु सांकल नहीं लगी थी। रात में अचानक उसकी पत्नि की आवाज सुनकर उसकी नींद खुल गई तो उसने देखा कि कमरे में आरोपी इंदलाल था। उसके एवं उसकी पत्नि के पूछने पर आरोपी इंदलाल ने कोई जवाब नहीं दिया। आरोपी कमल बाहर खड़ा था, किन्तु उसने भी कोई जवाब नहीं दिया। उसने आरोपीगण को पकड़ने की कोशिश की किन्तु वे लोग भाग गये। आरोपी कमल कमरे में नहीं आया था। आरोपी इंदलाल ने उसकी पत्नि का हाथ बुरी नियत से पकड़ा था। उसकी पत्नि ने सालेटेकरी चौकी में घटना की रिपोर्ट की थी। पुलिस ने उनके घर से चप्पल और लॉकेट जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.03 तैयार किया था। प्रतिपरीक्षण में बताया है कि उसने आरोपी इंदलाल को अपनी पत्नि का हाथ पकड़ते हुए नहीं देखा था। स्वतः बताया है कि आरोपी इंदलाल एवं उसके मध्य वाद-विवाद हुआ था। रिपोर्ट करने वह अपनी पत्नि के साथ गया था तथा प्रतिपरीक्षण में इससे इंकार किया है कि आरोपी इंदलाल से उसकी पुरानी दुश्मनी के कारण वह बातचीत नहीं करता था। इससे भी इंकार किया है कि पुरानी दुश्मनी के कारण उसने आरोपीगण के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट किया था। इस प्रकार इस साक्षी के प्रतिपरीक्षण में भी अभियोजन के विपरीत कोई तथ्य नहीं है।

10— रुकमणीबाई अ.सा.03 ने बताया है कि वह अभियोक्त्री तथा आरोपी इंदलाल एवं कमलसिंह को जानती है। घटना के संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं है। पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर इससे इंकार किया है कि दिनांक 05.10.2014 को रात्रि 9:30 बजे अभियोक्त्री के घर तरफ चिल्लाने की आवाज सुनकर वह गई थी। इससे भी इंकार किया है कि अभियोक्त्री ने बताया था कि आरोपीगण उसके घर के अंदर घुसे थे और आरोपी इंदलाल ने बुरी

नियत से उसका हाथ पकड़ लिया था। इससे भी इंकार किया है कि आरोपी इंदलाल हाथ छुड़ाकर भाग गया था। इस साक्षी ने पुलिस को प्र.पी.04 का कथन देने से भी इंकार किया है। इस प्रकार इस साक्षी ने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है।

11— हीराबती अ.सा.04 ने बताया है कि वह अभियोक्त्री तथा आरोपी इंदलाल एवं कमलसिंह को जानती है। घटना के संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं है। पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर इससे इंकार किया है कि दिनांक 05.10.2014 को रात्रि 9:30 बजे अभियोक्त्री के घर तरफ चिल्लाने की आवाज सुनकर वह गई थी। इससे भी इंकार किया है कि अभियोक्त्री ने बताया था कि आरोपीगण उसके घर के अंदर घुसे थे और आरोपी इंदलाल ने बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ लिया था। इससे भी इंकार किया है कि आरोपी इंदलाल हाथ छुड़ाकर भाग गया था। इस साक्षी ने पुलिस को प्र.पी.05 का कथन देने से भी इंकार किया है। इस प्रकार इस साक्षी ने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है।

12— बहाल अ.सा.05 ने बताया है कि वह अभियोक्त्री तथा आरोपी इंदलाल एवं कमलसिंह को जानता है। घटना के संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं है। पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर इससे इंकार किया है कि दिनांक 05.10.2014 को रात्रि 9:30 बजे अभियोक्त्री के घर तरफ चिल्लाने की आवाज सुनकर वह गया था। इससे भी इंकार किया है कि अभियोक्त्री ने बताया था कि आरोपीगण उसके घर के अंदर घुसे थे और आरोपी इंदलाल ने बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ लिया था। इससे भी इंकार किया है कि आरोपी इंदलाल हाथ छुड़ाकर भाग गया था। इस साक्षी ने पुलिस को प्र.पी.06 का कथन देने से भी इंकार किया है। इस प्रकार इस साक्षी ने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है।

13— फानूराम अ.सा.08 ने बताया है कि वह आरोपीगण को जानता है, किन्तु उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है। पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर इससे इंकार किया है कि अभियोक्त्री के घर तरफ चिल्लाने की आवाज सुनकर वह गया था। इससे भी इंकार किया है कि अभियोक्त्री ने बताया था कि

आरोपीगण उसके घर के अंदर घुसे थे और आरोपी इंदलाल ने छेड़खानी की थी। इस साक्षी ने पुलिस को प्र.पी.11 का कथन देने से भी इंकार किया है। इस प्रकार इस साक्षी ने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है।

14— डॉ० सुनील सिंह अ.सा.06 ने बताया है कि दिनांक 06.10.2014 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दमोह में पुलिस चौकी सालेटेकरी थाना बिरसा के आरक्षक मनोज द्वारा अभियोक्त्री को लाये जाने पर उसका मेडिकल परीक्षण किया था। अभियोक्त्री के शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं पाया था। जिसके संबंध में दिया गया रिपोर्ट प्र.पी.07 है। इस प्रकार अभियोक्त्री के शरीर पर कोई उपहति या चोट मेडिकल परीक्षण में नहीं पाया गया था तथा स्वयं अभियोक्त्री द्वारा मुख्यपरीक्षण पर अपने शरीर में कोई चोट के बारे में नहीं बताया गया है। सिर्फ अभियोजन के मामले के अनुसार अभियोक्त्री का हाथ पकड़ा गया है। ऐसे में कोई चोट अभियोक्त्री को न होने से अभियोजन के मामले पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है।

15— बरनसिंह परते अ.सा.07 ने बताया है कि थाना बिरसा के अपराध क्रमांक 129/14 धारा 354क, 456/34 भा.द.वि. की विवेचना के दौरान उसने घटनास्थल का मौका नक्शा प्र.पी.02 तैयार किया था। उसने एक लॉकेट प्लास्टिकनुमा रेशम का धागा लगा हुआ बांये पैर के प्लास्टिक टाईमेक्स कंपनी की हवाई चप्पल को जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.03 तैयार किया था। विवेचना के दौरान अभियोक्त्री, देवीलाल, रूकमणीबाई, हीराबतीबाई, बहाल, फानूराम, संतोष एवं शोभाराम के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किया था। आरोपी इंदलाल एवं कमलसिंह को गवाहों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.08 एवं प्र.पी.09 तैयार किया था। आरोपीगण को गिरफ्तार करने की सूचना प्र.पी.10 मुनेश कावरे को दिया था। प्रतिपरीक्षण में इससे इंकार किया है कि उसने मौका नक्शा थाने में तैयार किया था। इससे भी इंकार किया है कि अभियोक्त्री एवं साक्षी देवीलाल, रूकमणी, हीराबती, बहाल फानूराम, संतोष एवं शोभाराम के कथन अपने मन से लेखबद्ध किया था। इससे भी इंकार किया है कि अभियोक्त्री से मिलकर उसने आरोपीगण के विरुद्ध झूठी कार्यवाही की है। इस प्रकार विवेचना अधिकारी के प्रतिपरीक्षण में भी ऐसा कोई तथ्य नहीं है,

जिससे बचाव पक्ष को कोई सहायता प्राप्त होता है।

16— आरोपी कमल के उपर धारा 456 भा.द.वि. का आरोप है, इसलिये अभियोजन को यह भी प्रमाणित करना था कि आरोपी कमल द्वारा कारावास से दण्डनीय अपराध कारित करने के लिए गृहभेदन किया गया, किन्तु अभियोक्त्री अ.सा.01 ने मुख्यपरीक्षण में ही बताया है कि आरोपी कमल कमरे में नहीं आया था। साक्षी देवीलाल अ.सा.02 ने भी मुख्यपरीक्षण में ही बताया है कि आरोपी कमल बाहर खड़ा था और कमरे में नहीं आया था। आरोपी कमल द्वारा कोई आपराधिक कृत्य किये जाने के संबंध में भी उक्त साक्षियों ने नहीं बताया है तथा आरोपी कमल अभियोक्त्री के कमरे में गया ही नहीं है। ऐसे में आरोपी कमल द्वारा गृहभेदन किया जाना भी प्रमाणित नहीं है।

17— इस प्रकार अभियोक्त्री अ.सा.01 ने बताया है कि आरोपी इंदलाल उसके कमरे के अंदर आ गया था और बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ा था। साक्षी देवीलाल ने भी उक्त घटना का समर्थन किया है। अभियोक्त्री ने इससे इंकार किया है कि पुरानी दुश्मनी होने के कारण उसने आरोपी को झूठा फंसाया है। बचाव पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई तथ्य नहीं लाया गया है कि आरोपीगण एवं अभियोक्त्री के परिवार के मध्य पूर्व से किस बात को लेकर विवाद है, जिससे उक्त सुझाव से भी बचाव पक्ष को कोई सहायता प्राप्त नहीं होता है। यद्यपि प्रकरण में अन्य स्वतंत्र साक्षी रूकमणीबाई अ.सा.03, हीराबती अ.सा.04, बहाल अ.सा.05, फानूराम अ.सा.06 ने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है, किन्तु जहाँ एक मात्र अभियोक्त्री का कथन विश्वसनीय हो एवं अभियोक्त्री के कथन में कोई तात्त्विक विरोधाभास एवं लोप न हो, वहाँ एक मात्र अभियोक्त्री के कथन से अभियोजन का मामला प्रमाणित होता है। जहाँ अभियोक्त्री का कथन विश्वसनीय पाया जाये वहाँ उसके लिए समर्थन की भी अपेक्षा नहीं होता है। फलतः अभियोजन का मामला प्रमाणित पाया जाता है। इस संबंध में न्याय दृष्टांत स्टेट ऑफ़ एम.पी. बनाम भोजपाल, 2005 (5) एम. पी.एच.टी., 421 म.प्र. अवलोकनीय है।

18— उपरोक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि

आरोपी कमल ने घटना दिनांक समय व स्थान पर अभियोक्त्री के नैवासिक मकान में कारावास से दण्डनीय अपराध करने के आशय से प्रवेश कर रात्रो गृहभेदन कारित किया। फलतः आरोपी कमल को धारा 456 भा.द.वि. के आरोप से दोषमुक्त किया जाकर इस मामले से स्वतंत्र किया जाता है, किन्तु अभियोजन यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि आरोपी इंदलाल ने दिनांक 05.10.2014 को रात्रि 9:30 बजे चौकी सालेटेकरी थाना बिरसा अंतर्गत ग्राम डोंगरिया में अभियोक्त्री के नैवासिक मकान में कारावास से दण्डनीय अपराध करने के आशय से प्रवेश कर रात्रो गृहभेदन कारित किया एवं अभियोक्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से अभियोक्त्री का हाथ पकड़कर उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग कारित किया। फलतः आरोपी को धारा-456, 354 भा.द.वि. के आरोप में सिद्धदोष पाया जाकर दोषसिद्ध ठहराया जाता है। प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ नहीं दिया जा रहा है। फलतः दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय कुछ समय के लिए स्थगित किया जाता है।

मधुसूदन जंघेल
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला बालाघाट म.प्र.

पुनःश्च,

19— दण्ड के प्रश्न पर उभयपक्ष को सुना गया। आरोपी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि आरोपी के विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धि नहीं है, प्रथम अपराध है। प्रकरण वर्ष 2014 से लंबित है तथा लगभग प्रत्येक सुनवाई तिथियों पर आरोपी उपस्थित होते रहा है आरोपी अपने परिवार का काम करने वालो एकमात्र सदस्य है। उसके जेल चले जाने से उसके परिवार के समक्ष भरण-पोषण की समस्या उत्पन्न हो जायेगी। आरोपी के दण्ड के प्रति नरम रुख अपनाये जाने का निवेदन किया है। अभियोजन की ओर से ए.डी.पी.ओ. ने आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया है। उभयपक्ष को दण्ड के प्रश्न पर सुनने एवं प्रकरण के अवलोकन से भी प्रकट है कि वर्ष 2014 से लंबित है। आरोपी भी प्रायः प्रत्येक सुनवाई तिथियों पर उपस्थित होते रहा है। फलतः आपराध की प्रकृति एवं उक्त परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी

को निम्नलिखित दण्ड से दण्डित किया जाता है।

क्र.	नाम आरोपी	धारा	जेल की सजा	अर्थदण्ड	व्यतिक्रम में सजा
1.	इंदलाल पिता हंसलाल, उम्र-48 वर्ष,	456 भा.द.वि.	01 वर्ष सश्रम कारावास	200/- रुपये	15 दिवस सश्रम कारावास
2.	इंदलाल पिता हंसलाल, उम्र-48 वर्ष,	354 भा.दं.वि.	01 वर्ष सश्रम कारावास	200/- रुपये	15 दिवस सश्रम कारावास

20— आरोपीगण के बंधपत्र एवं प्रतिभूति पत्र भारमुक्त किये जाते हैं। आरोपीगण जमानत पर हैं। आरोपी इंदलाल को अभिरक्षा में लिया जाकर सजा भुगताने हेतु जेल भेजा जावे।

21— कारावास की सभी मूल सजाएँ साथ-साथ भुगताई जावे। अर्थदण्ड अदायगी के व्यतिक्रम में भुगताई जाने वाली सजा एक के बाद एक भुगताई जावे।

22— आरोपीगण जिस कालावधि के लिए जेल में रहे हो उस विषय में एक विवरण धारा 428 दं.प्र.सं. के अंतर्गत बनाया जावे जो निर्णय का भाग होगा। आरोपीगण की पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा की अवधि निरंक है।

23— निर्णयानुसार आरोपी द्वारा अर्थदंड की राशि अदा किये जाने पर बतौर क्षतिपूर्ति के रूप में कुल राशि 400/-रुपये (अंकन में चार सौ रुपये) अभियोक्त्री को अपील अवधि पश्चात् अपील न किये जाने की दशा में प्राप्त करने की अधिकारी होंगे तथा अपील होने की स्थिति में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश की प्रतीक्षा किया जावे।

24— प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति प्लास्टिकनुमा लॉकेट एवं हवाई चप्पल मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् अपील न होने की दशा में नष्ट किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देश पर टंकित किया।

सही /—
मधुसूदन जंघेल
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला बालाघाट म.प्र.

सही /—
मधुसूदन जंघेल
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला बालाघाट म.प्र.